

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/110 /2017/

दिनांक :

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/सेवानिवृत्ति/2016/2750 दिनांक 16.12.2016 के द्वारा श्री गणेश सिंह, लिपिक ग्रेड प्रथम, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(प.क.), बून्दी जिनकी जन्म तिथि 08.01.1957 है एवं दिनांक 31.01.2017 से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति आदेश जारी करते हुये विभागीय जांच विचाराधीन/प्रस्तावित बताया गया थी।

निदेशालय के आदेश क्रमांक सीबी/एमएस/एफ-1420/2017/1248 दिनांक 13.06.2017 के द्वारा प्रकरण को दोषमुक्त कर समाप्त किये जाने के फलस्वरूप यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री गणेश सिंह, लिपिक ग्रेड प्रथम के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

दिनांक : 30/06/17

क्रमांक :- ई-18/एम/110 /2017/139

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी।
3. अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) बून्दी।
4. कार्या: अधी. कम सहा. प्रशा. अधि. गोपनीय अनुभाग (अराजपत्रित) मुख्यालय।
5. संबंधित कर्मचारी को उनके प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सूचनार्थ।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर